न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम प्रकरण (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री ओमी पुरोहित
प्रकरण संख्या – 136/2018
CNR NO. – RJJS010014232018

प्रथम सूचना रिपोर्ट – 82/2018
पुलिस थाना – सदर, जैसलमेर, जिला जैसलमेर
अनवान – राज्य बनाम विक्रमसिंह व अन्य

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम

<u>भाग– प्रथम</u>

A

परिवादी	कल्याणसिंह
प्रस्तुतकर्ता	कल्याणसिंह
अभियुक्त का नाम व पता	1–विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 37 साल निवासी मूलाणा पुलिस थाना सांगड, जिला जैसलमेर 2–रेवन्तसिंह पुत्र चाम्पसिंह उम्र 29 साल निवासी पुसड, पुलिस थाना शिव, जिला बाडमेर **...फौत**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री शैतानसिंह परिहार
विशिष्ट लोक अभियोजक	श्री श्यामपालसिंह राठौड

B

अपराध की दिनांक	20.07.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.07.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.10.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	19.10.2022
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	19.01.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	31.07.2026

निर्णय दिनांक	31.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	31.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01.	विक्रमसिंह उर्फ खींवराज सिंह	22.7.18	30.7.18	379 भारतीय दंड संहिता व 136 विद्युत अधिनियम	दोषसिद्ध	परीविक्षा का लाभ	08 दिन

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पीडब्ल्यू 01	कल्याणसिंह	परिवादी
पीडब्ल्यू 02	स्वरूपसिंह	गवाह
पीडब्ल्यू 03	ओमप्रकाश	गवाह
पीडब्ल्यू 04	शांतिलाल	गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01.	प्रदर्श पी 01	लिखित रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03.	प्रदर्श पी 03	फर्द नक्शा माक एवं हालात मौका
04.	प्रदर्श पी 04	फर्द जब्ती ऑयल
05.	प्रदर्श पी 05	फर्द जब्ती ऑयल द्वारा अभियुक्त विक्रमसिंह
06.	प्रदर्श पी 06	फर्द जब्ती ऑयल द्वारा अभियुक्त रेवन्तसिंह
07.	प्रदर्श पी 07	इन्सिडेंट रिपोर्ट
08.	प्रदर्श पी 08	इन्सिडेंट रिपोर्ट
09.	प्रदर्श पी 09	इन्सिडेंट रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी 10	इन्सिडेंट रिपोर्ट
11.	प्रदर्श पी 11	इन्सिडेंट रिपोर्ट
12.	प्रदर्शपी 12 से प्रदर्शपी 15	सर्विस आदेश

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
–		

निर्णय दिनांक–31.07.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2018 को परिवादी कल्याणसिंह हाल सहायक मैनेजर,सुजलोन कम्पनी, जैसलमेर ने पुलिस थाना सदर, जैसलमेर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि सुजलोन ग्लोबल सर्विस लि० कम्पनी में वह असिस्टेन्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कम्पनी द्वारा विधुत सयन्त्र गाँव बडौडा गाँव के क्षेत्र मे लगे हुए है, जिनमे से BGN 69 एंव 70 में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने कि नियत से मशीन के साथ तेल निकालने के लिए छेडछाड कि तो तुरन्त पता चलने पर मौके पर सुरक्षा प्रहरी पहुँचे तो मौके पर एक मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 15 एसडी 8959 मौके पर पडा था व तेल का जरीकन भी भरा हुआ था एंव मौके पर ट्रेक्ट्रर व मोटरसाईकिल के भी निशान थे। इन्ही चोरो ने BGN93 BGN 94 से तेल निकाला है पहले भी दिनाक 20.07.2018 को रात्रि मे BGN 85 एवं MLN 89 मशीनो से भी इसी गैंग के लोगो ने चोरियों की है। मौका पर पिरूसिह, जीवणसिह, एंव स्वरूपसिह थे। इन्होंने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया। रिपोर्ट देता है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे,..इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर बाद तफतीश अभियुक्त विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 136 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश करना वर्णित किया।

02. बहस आरोप सुन अभियुक्तगण को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 136 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित कर सुनाया समझाया गया, जिस पर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रेवन्तसिंह की मृत्य हो जाने के कारण दिनांक 07.03.2026 को उसके विरूद्ध प्रकरण में चल रही दाण्डिक कार्यवाही को समाप्त की गई।

04. इस प्रक्रम पर अभियुक्त विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह की ओर से जरिये अधिवक्ता आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम में जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

05. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

06. उभय पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमें इस प्रकरण में यह देखना है कि–

(i). क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.07.18 की दरमियानी रात्रि को किसी समय सरहद मौजा बड़ोड़ा गांव में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी मैसर्स सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड कम्पनी

के स्थापित पवन उर्जा संयंत्र संख्या 93 व 94 से व पूर्व में लोकेशन संख्या 85 व 89 से परिवादी विभाग के सक्षम अधिकारी की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से ऑयल निकाल कर चुराकरले गये?

(ii). यदि कोई अपराध साबित हुआ तो उसका दण्ड?

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान जाहिर किया कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाए जाने का निवेदन किया।

08. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने पत्रावली पर आई साक्ष्य एवं अभियुक्त की स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित करने का निवेदन किया।

09. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर गौर किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गवाहान की साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है –

10. गवाह **पीडब्ल्यू 01 कल्याणसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में,"मैं सुजलोन कम्पनी में वर्ष 2013 से सुरक्षा सहायक के पद पर सुजलोन कम्पनी, जैसलमेर में लगा हुआ हूं। इस कम्पनी के विण्ड मिल बडोडा गांव में लगे हुए हैं, जिसमें बीजीएन 69 व 70 में अज्ञात चोरों द्वारा मशीन से दिनांक 20–21.07.2018 की मध्यरात्रि को तेल निकालकर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना सुरक्षा प्रहरी द्वारा मुझे दी कि वहां पर एक मोटरसाइकिल आयी है व उनके पास केन है व ऑयल चोरी करने आयी है। मुझे इसकी सूचना पीरूसिह, स्वरूपसिंह, जीवनसिंह ने टेलीफोन से दी थी। जब मैं मौके पर गया तो वहां मशीन से ऑयल निकाला हुआ था। इससे पहले दो अन्य मशीनों से ऑयल की चोरी हुई थी। इससे कम्पनी को लाखों रूपयों का नुकसान हुआ था। मैंने उक्त घटना की पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो रिपोर्ट प्रदर्शपी–01 है, जिस पर ए से बी मेरे तीन जगह हस्ताक्षर है। चाक एफआइआर प्रदर्शपी–02 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी–03 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने मौका देखा था। उस समय पीरूसिंह व पुलिसवाले थे।"कथन किया है।

11. गवाह **पीडब्ल्यू 02 स्वरूपसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में,"मैं सुजलोन कम्पनी मे सुरक्षा गार्ड के तौर पर बडोडा गांव साइड में लगा हुआ हूं। तब लोकेशन संख्या 93 व 94 में पहले ऑयल चोरी हुआ था, फिर बीजीएन 69 व 70 में ऑयल चोरी हुआ था। तब वहां पर एक बाइक पकड़ी गयी थी व दो केन पकडे थे, जिसमें एक में 13 लीटर व दूसरे में 20 लीटर ऑयल था। हमारी कम्पनी के इंजीनियर का फोन आया था कि लोकेशन की कनेक्टिविटी कट गयी है। मैं, पीरूसिंह व जीवनपालसिंह नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमारी गाडी की लाइट देखकर चोर भाग गये व बाइक वहीं पर छोड गये। इससे कम्पनी को नुकसान हुआ था। हमने चोरों का पीछा किया था, लेकिन वे ट्यूबवेल में से रात्रि में भाग

गये। तेल मिलने पर हमने कम्पनी अधिकारी कल्याणसिंह को इसके बारे में सूचना दी थी व उन्होंनें ही पुलिस को सूचना दी थी व पुलिस आकर बाइक लेकर गयी थी तथा तेल के केन भी लेकर गये थे।"कथन किया है।

12. गवाह **पीडब्ल्यू 03 ओमप्रकाश शर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में,"में दिनांक 21.07.18 को टैक्निशीयन स्टॉर के पद पर सुजलोन कंपनी में पदस्थापित था। उस रोज सरहद बड़ोडा गांव में हमारे कंपनी के पवन उर्जा संयंत्र पर ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी करके अज्ञात चोर मौके से फरार हुए थे। जिनके द्वारा छोडा गया 60 लिटर का एक जरीकन काले रंग का जिसमें 10 लिटर ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा हुआ पुलिस ने मेरे व प्रिय रंजन सिंह, कीर्तिरंजन सिंह के सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त किया था, जिस पर ए से बी मेरे शिनाख्तकर्ता के रूप में मेरे हस्ताक्षर है। उक्त ट्रांसफार्मर ऑयल मैंने मेरी कंपनी सुजलोन के होने की पहचान की थी। दिनांक 24.07.18 को पुलिस ने मेरे सामने विकम सिंह उर्फ खींवराज सिंह व रेवतं सिंह से चोरी किया गया ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी हुए स्थान के पास में ही झाड़ियों में छुपा कर रखा, बरामद किया था। मुलजिम विक्रम सिंह उर्फ खींवराज सिंह की निशानदेही से एक 20 लिटर का जरीकन जिस में 12 लिटर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ व मुलजिम रेवंत सिंह से 20 लिटर का एक जरीकन, जिसमे 19 लिटर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ बरामद किया था। जिस मैने मेरी कंपनी का ट्रांसफार्मर ऑयल होने की पहचान की थी। फर्द जब्ती ट्रांसफार्मर ऑयल मुलजिम विकम सिंह उर्फ खींवराज सिंह प्रदर्श पी 5 व 6 हैं, जिस पर ए से बी ट्रांसफार्मर ऑयल शिनाख्त रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं।"कथन किया है।

13. गवाह **पीडब्ल्यू 04 शांतिलाल डांगी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में,"मैं वर्ष 2018 में साईड इंचार्ज के पद पर सुजलोन कंपनी, जैसलमेर में पदस्थापित था। उस समय पवन उर्जा संयंत्र बड़ोडा गांव,मूलाणा में हुई चोरी के संबंध में मेरे द्वारा पुलिस को इंसिडेंट रिपोर्ट व नुक्सानी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, व 15 पेश की थी, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।"कथन किया है।

14. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण पीडब्ल्यू 01 कल्याणसिंह, पीडब्ल्यू 02 स्वरूपसिंह, पीडब्ल्यू 03 ओमप्रकाश शर्मा एवं पीडब्ल्यू 04 शांतिलाल डांगी ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम में स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे अभियोजन कहानी की पूर्णतया पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

15. परिणामस्वरूप अभियुक्त विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 37 साल

निवासी मूलाणा पुलिस थाना सांगड, जिला जैसलमेर को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

16. सजा के बिंदु पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि अभियुक्त गरीब एवं मजदूर पेशा व्यक्ति होकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले अकेला व्यक्ति है। अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा की पीड़ा भुगत रहा है। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से स्वेचछा से जुर्म स्वीकार किया है एवं आयंदा से अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावें।

17. जबकि इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्ध अपराध गंभीर प्रकृति का होना बताते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

18. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति, अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों एवं अभियुक्त द्वारा लोक अदालत की भावना से की गई स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित करने की बजाय परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

19. अतः अभियुक्त विक्रमसिंह उर्फ खींवराजसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 37 साल निवासी मूलाणा पुलिस थाना सांगड, जिला जैसलमेर को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम की दोषसिद्धि में अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ प्रदान करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त पच्चीस हजार रुपये की राशि का निजी बंध पत्र एवं इसी कदर राशि का एक प्रतिभू पत्र इस आशय का न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें कि वह एक वर्ष की अवधि तक शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा, अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर सजा भुगतने के लिए उपस्थित हो जायेगा तो उसे अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत परीविक्षा जमानत मुचलकों पर रिहा किया जावे, अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में रहें।

20. अभियुक्त जमानत पर आजाद हैं। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के तहत अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके राशि रुपये 25,000–25,000/–के आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगे।

21. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल आरजे15–एसडी–8959 सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर दिया हुआ है, जो सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावें, हस्तगत प्रकरण

में फर्द जब्ती में अंकितानुसार जब्तशुदा ऑयल यदि न्यायालय के मालखाना या संबंधित पुलिस थाना के मालखाना में जमा है तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील कंपनी के अधिकृत व्यक्ति को नियमानुसार लौटाया जावें।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर

22. निर्णय एवं आदेश आज **दिनांक 31.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.01 18:26:52 IST